



कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी  
पत्रांक-3019/12-1, दिनांक: मसूरी, 11, मार्च, 2019।

सेवा में,

वन संरक्षक,  
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड,  
देहरादून।

विषय:-

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद- टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड-जौनपुर में रायपुर-कुमाल्डा-कदूखाल मोटर मार्ग के किमी 0 35 से घेना तक मोटर मार्ग (कुल लम्बाई-3.325किमी0) के निर्माण हेतु वांछित 2.0825 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत पी०एम०जी०एस०वाई०, सिंचाई खण्ड, टिहरी गढ़वाल को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव।

सन्दर्भ :-

आपका ई०डी०एस० दिनांक 02-03-2019

महोदय,

उक्त सन्दर्भित ई०डी०एस० पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि विषयांकित वन भूमि का प्रत्यावर्तन प्रस्ताव प्रभाग स्तर से ऑनलाईन अपलोड करते हुए प्रस्ताव की हार्ड प्रति इस कार्यालय के पत्र सं० 301/12-1, दिनांक 26-07-2018 (प्रति संलग्न) द्वारा आपके कार्यालय में दिनांक 30-07-2018 को उपलब्ध करायी गयी है।

अतः अनुरोध है कि प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही करने की कृपा करें।  
संलग्न - उक्तानुसार।

भवदीया

(कहकशां नसीम)  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

पत्रांक 3019 /दिनांकित।

प्रतिलिपि- अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई०, सिंचाई खण्ड-2, नई टिहरी को उक्त विषयक क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(कहकशां नसीम)  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।



कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।  
पत्रांक-301/12-1, दिनांक: मसूरी, 26/7/2018।

सेवा में,

वन संरक्षक,  
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड,  
देहरादून।

विषय :-

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड जौनपुर में रायपुर-कुमाल्डा-कददूखाल मोटर मार्ग के कि०मी० 35 से घेना तक मोटर मार्ग (कुल लम्बाई-3.325 किमी०) के निर्माण हेतु 2.0825 है० वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु पी०एम०जी०एस०वाई०, सिंचाई खण्ड-2, को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव।  
अधिसूची अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई०, सिंचाई खण्ड-2, नई टिहरी का पत्रांक 756/पी०-सि०ख०-2, दिनांक 30-06-2016।

महोदय,

अधिसूची अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई०, सिंचाई खण्ड-2, नई टिहरी द्वारा उक्त सन्दर्भित पत्र (प्रति संलग्न) से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड जौनपुर में रायपुर-कुमाल्डा-कददूखाल मोटर मार्ग के कि०मी० 35 से घेना तक मोटर मार्ग (कुल लम्बाई-3.325 किमी०) के निर्माण हेतु 2.0825 है० वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु आनलाईन प्रत्यावर्तन प्रस्ताव एवं प्रस्ताव की स्कैन हार्ड प्रति इस कार्यालय में अग्रेतर कार्यवाही हेतु उपलब्ध करायी गयी है। प्रभाग स्तर से जॉच/परीक्षण उपरान्त आवश्यक संस्तुति सहित प्रस्ताव की (01) एक स्कैन हार्ड प्रति प्रेषित की जा रही है। विषयांकित मोटर मार्ग के निर्माण हेतु अपेक्षित वन भूमि का स्थलीय संयुक्त निरीक्षण का कार्य अधीनस्थ स्टाफ, राजस्व विभाग व प्रस्तावक विभाग के कर्मचारियों /अधिकारियों द्वारा 18-06-2015 को किया गया है। प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण में चयनित स्थल पर मसूरी वन प्रभाग के कार्यक्षेत्रान्तर्गत विभिन्न प्रजाति एवं व्यासवर्ग के कुल 69 वृक्ष (आरक्षित वन-68 वृक्ष, सिविल सायम भूमि-01 वृक्ष) प्रभावित/वाधित होने निहित हैं। जिनमें से आरक्षित वन में 38 वृक्ष तथा 01वृक्ष कुल 39 बांज प्रजाति के सम्मिलित है। जिनका क्षेत्रवार/प्रजातिवार/व्यासवर्गवार विवरण निम्नवत् है। अद्योहस्ताक्षरी द्वारा प्रस्तावित मोटर मार्ग के समरेखण का दिनांक 10-07-2018 को स्थलीय निरीक्षण किया गया है।

क्र० मोटर मार्ग हेतु सं० अपेक्षितभूमि का विवरण	प्रजाति का नाम	व्यासवर्ग							योग	
		0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70		70 से अधिक
1 रायपुर रेंज- आरक्षित वन श्रीपुर क.सं.6ए व 6बी (कुल वाधित वृक्षों की सं० -68)	बांज	8	6	7	9	3	2	1	2	38
2 रायपुर रेंज- सि०सो० भूमि ग्राम डुबलियान (कुल वाधित वृक्षों की सं० -1)	बांज	01	-	-	-	-	-	-	-	01
योग :-कुल 69 वृक्ष .		9	6	7	9	3	2	1	2	39

अतः अनुरोध है कि प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक-उक्तानुसार। (प्रस्ताव की एक प्रति)

भवदीया

(कहकशां नसीम)  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

ok

पत्रांक 30 / ( ) तद्विनांकित।

प्रतिलिपि:—अधिसासी अभियन्ता,पी०एम०जी०एस०वाई०, सिंचाई खण्ड-२,नई, टिहरी को उक्त  
सन्दर्भित पत्र के क्रम में आवश्यक कार्यवाही प्रेषित।

(कहकशां नसीम)  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

## भाग - II

(संबन्धी उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या .....

7-	परियोजना स्कीम का स्थान	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड जौनपुर में रायपुर-कुमाल्डा-कददूखाल मोटर मार्ग के कि०मी० 35 से घेना तक मोटर मार्ग (कुल लम्बाई-3.325 किमी०) के निर्माण हेतु 2.0825 हे० वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु पी०एम०जी०एस०वाई०, सिंचाई खण्ड-2, को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव।
(i)	राज्य / संघ शासित क्षेत्र	उत्तराखण्ड राज्य
(ii)	जिला	टिहरी गढ़वाल
(iii)	वन प्रभाग	मसूरी वन प्रभाग।
(iv)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेअर में)	5.1415 हेक्टर वन भूमि
(v)	वन की कानूनी स्थिति	0.2975 हेक्टर, आरक्षित वन भूमि श्रीपुर कक्ष सं० -6ए, 6बी (मसूरी वन प्रभाग) 0.0870 हेक्टर सि०सो० भूमि ग्राम घेना चक लगा दुबलियान। (मसूरी वन प्रभाग) 1.330 हेक्टर, आरक्षित वन भूमि मुल्सी क०सं०-1, (नरेन्द्रनगर वन प्रभाग) 0.3680 हेक्टर, सि०सो० भूमि ग्राम घेना, (नरेन्द्रनगर वन प्रभाग) <b>2.0825</b> हेक्टर
(vi)	हरियाली का घनत्व	0.4 (श्रीपुर कक्ष सं० -6ए, 6बी)
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परियोजना (संलग्न की जाये)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ.आर.एल., एफ.आर.एल.-2 मीटर पर परियोजना और एफ.आर.एल.-4 मीटर भी संलग्न किये जाएं	प्रस्तावित मोटर मार्ग का समरेखण दो वन प्रभागों (मसूरी वन प्रभाग तथा नरेन्द्रनगर वन प्रभाग) के कार्यक्षेत्रान्तर्गत अवस्थित है। मोटर मार्ग के प्रस्तावित समरेखण / स्थल पर (मसूरी वन प्रभाग के कार्यक्षेत्रान्तर्गत आरक्षित वन भूमि में-68, सिविल सोयम भूमि में-01 कुल 69 वृक्ष) जिसमें 39 बांज प्रजाति के वृक्ष सम्मिलिततथा नरेन्द्रनगर वन प्रभाग के कार्यक्षेत्रान्तर्गत 115वृक्ष) कुल 184 वृक्ष विभिन्न प्रजाति/व्यास वर्ग के अवस्थित हैं, जिसमें 145 बांज प्रजाति के वृक्ष सम्मिलित हैं। प्रस्तावित स्थल पर अवस्थित कुल वृक्षों एवं वास्तविक रूप से प्रभावित /वाधित होने वाले वृक्षों की गणना/मूल्यांकन सूची प्रस्ताव के संलग्नक- प्रपत्र-19, 19.1, 19.2, 19.4, 19.5, 20 पर वन प्रभागवार चरसा है।
(viii)	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	इस बावत वरिष्ठ भू-वैज्ञानिक(सो०नि०) लो०नि०वि० देहरादून की दो पृष्ठीय भू-गर्भीय आख्या प्रस्ताव के संलग्नक प्रपत्र -33 के साथ चरसा है।
(ix)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	प्रस्तावित / चयनित स्थल आरक्षित वन भूमि श्रीपुर कक्ष सं० -6ए, 6बी तथा ग्राम घेना चक लगा दुबलियान सिविल सोयम भूमि (मसूरी वन प्रभाग) एवं मुल्सी कक्ष सं०-1, (नरेन्द्रनगर वन प्रभाग) तथा ग्राम घेना वन पंचायत / सिविल सोयम भूमि की सीमा अन्तर्गत है।
(x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर, आदि का भाग है।(यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वर्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाएं)	नहीं। इस बावत प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्ताव के संलग्नक प्रपत्र -25 पर तत्संबंधी प्रमाण पत्र चरसा है।

<b>(xi)</b>	व्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पायी जाती है यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।		नहीं।
<b>(xii)</b>	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठापन और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो, दें।	नहीं। इस बावत प्रस्तावक /पी0एम0जी0एस0वाई0 एवं राजस्व विभाग द्वारा प्रस्ताव के संलग्नक प्रपत्र -37 पर तत्संबन्धी प्रमाण पत्र चरसा है।	
<b>8.</b>	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं, तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मद-वार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	इस बावत प्रस्तावक विभाग एवं वन विभाग द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र प्रस्ताव के संलग्नक प्रपत्र -14 पर चरसा है।	
<b>9.</b>	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हां/नहीं) यदि हां, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्रवाई सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन संबन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	नहीं	
<b>10.</b>	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा		
<b>(i)</b>	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस पास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।	प्रस्तावित कार्य के निर्माण हेतु अपेक्षित 2.0825 है0 के बदले दुगने 4.165 है0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम घेना सिविल सोयम भूमि का चयन किया गया है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन एवं मानचित्र प्रस्ताव के संलग्नक प्रपत्र 42 व 42 ए एवं प्रपत्र 10ए व 10डी पर चरसा है।	
<b>(ii)</b>	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर/अवक्रमित वन क्षेत्र, और आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन प्रस्ताव के संलग्नक प्रपत्र 42 व 42 ए पर चरसा है।	
<b>(iii)</b>	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।	उक्तानुसार।	
<b>(iv)</b>	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिख्य।	प्रजातियां:- जलवायु के अनुरूप मिश्रित प्रजातियां। कार्यान्वयन एजेंसी:- स्वयं वन विभाग। समय:- उच्च स्तर से स्वीकृति प्राप्त होने पर। लागत:- क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रू0 11,60,640.00 (रू0 ग्यारह लाख साठ हजार छः सौ चालीस मात्र) क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रू0 11,60,640.00 (रू0 ग्यारह लाख साठ हजार छः सौ चालीस मात्र)	
<b>(v)</b>	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)	प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रू0 11,60,640.00 (रू0 ग्यारह लाख साठ हजार छः सौ चालीस मात्र)	
<b>11.</b>	उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम 7 (xi, xii), 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शति हुए (संलग्न करें)	प्राक्कलन एवं मानचित्र प्रतिहस्ताक्षरित व प्रमाणित हैं।	
<b>12.</b>	विभाग/जिला प्रोफाइल	फील्ड स्तर के अधीनस्थ वन अधिकारी, फील्ड स्टाफ, राजस्व विभाग एवं प्रस्तावक विभाग की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट प्रतिहस्ताक्षरित कर प्रस्ताव के संलग्नक प्रपत्र-4 पर चरसा है। तत्कालीन प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा दिनांक 12.7.2018 को वर्णित स्थल का निरीक्षण किया गया है। जो संलग्नक प्रपत्र-4ए संयुक्त निरीक्षण के साथ चरसा है। अद्योहस्ताक्षरी द्वारा भी वर्णित क्षेत्र का निरीक्षण दि0.10-07-2018 को किया गया है।	
<b>(i)</b>	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	मसूरी वन प्रभाग/जिला- टिहरी गढ़वाल	
<b>(ii)</b>	जिले का वन क्षेत्र	4421 वर्ग कि0मी0	
<b>(iii)</b>	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	4058.90 वर्ग कि0मी0 कुल मामलों की संख्या 94 है। वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र 979.9032 है0 है, इसमें आरक्षित वन क्षेत्र 516.5694 है0 है।	

<b>(iv)</b>	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि :- (ख) वनेतर भूमि पर:-	(क) 227.0912 हैक्टेयर / 622.9106है0 (ख) रिक्त	
<b>(v)</b>	अब तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति (क) वन भूमि पर (ख) वनेतर भूमि पर	(क) 1- 218.90 है0 / 504.88 में प्रभाग के अंतर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जा चुका है। (ख) रिक्त	
<b>13.</b>	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अत्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रश्नगत क्षेत्र की तकनीकी एवं स्थानीय विधि एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावक विभाग के स्तर पर करवाना होगा। अतः संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट एवं प्रस्ताव में प्राप्त प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों तथा अद्योहस्ताक्षरी के स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त प्रभाग स्तर से संस्तुति की जाती है।	

दिनांक: 26-7 -2018।  
स्थान: - मसूरी,

हस्ताक्षर

नाम:- (कई कशां नसीम)

संरक्षक मुहराधिकारी  
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

## SITE INSPECTION REPORT NOT BELOW THE RANK OF DCF

(For the forest land to be diverted under FCA)

A proposal has been received by this office from Executive Engineer, P.M.G.S.Y, Irrigation Division-2, New Tehri, for "Construction of K.M 35 of Raipur-Kumalda-Kaddukhal Motor marg to Ghena Motor road (3.325 K.M) " under FCA-1980 of 2.0825 ha. (0.3845 ha. in Mussoorie Forest Div.)of forest land non-forestry purpose. The Project envisages the use of, "Construction of K.M 35 of Raipur-Kumalda-Kaddukhal Motor marg to Ghena Motor road (3.325 K.M)". The site inspection of the land involved in the proposal has done by me on dated 10-07-2018

On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a Reserve Forest + Prevatate Forest + Civil Forest (RF 0.2975 ha + PF 0.00 ha.+CF 0.087 ha. = 03845 ha.

The requirement of forest land as proposed by the user agency in Col.2 part-I is unavoidable and is barest minimum required for the project.

Whether any rare/endangered/unique species of flora and fauna is found in the area. If so the details there of: No.

Whether any protected archeological/heritage site/defence establishment or any other important monument is located in the area, If so the details there of with NOC from competent authority, if required:- No.

- c) The user agency has not violated the provisions of forest (Conservation), Act 1980 and no work has been started without proper sanction.(✓)
- d) It has been found that the user agency has violated the forest (Conservation)] Act 1980 provided. A detail report as per para 1.9 of chapter 1, para C of Handbook of forest (Conservation)] Act 1980 is attached.(x)

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.

*Proposal is recommended.*

Place - Mussoorie

Date - 10.07 . 2018

Name (Kahkashn Naseem)

Designation.....*प्रभागीय वनाधिकारी*  
*मसूरी.वन.प्रभाग,मसूरी*

(Signature)

Office Seal

N.B x State the purpose for which the forest land is proposed to be diverted.

xx Out of (a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable.


As per letter number 2-2/2000 FC dated 16-10-2000 from Ministry of Environment & Forests, Government of India for proposal involving less than 40 ha. of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more than 40 ha. of forest land site inspection report from the conservation of forests is required.

परियोजना का नाम:- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड जौनपुर में रायपुर-कुमाल्डा-कददूखाल मोटर मार्ग के कि०मी० 35 से घेना तक मोटर मार्ग (कुल लम्बाई-3.325 किमी०) के निर्माण हेतु 2.0825 है० वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु पी०एम०जी०एस०वाई०, सिंचाई खण्ड-2, को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव।

एन०पी०वी० की धनराशि जमा करने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र

(माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28.3.08 एवं 9.5.2008 के अनुसार)  
"प्रमाणित किया जाता है कि सम्बन्धित वन क्षेत्र (मसूरी वन प्रभाग के कार्यक्षेत्रान्तर्गत आरक्षित वन भूमि-0.2975है० तथा सिविल सोयम भूमि -0.087 है० कुल 0.3845 है०) मा० उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28-3-2008 के अनुसार निर्धारित ईको क्लास V के अन्तर्गत आता है।"

वर्तमान कार्ययोजना के अनुसार श्रीपुर कक्ष सं० 6ए व 6बी का धनत्व 0.4 है। जिस हेतु एन०पी०वी० की प्रति है० दर रू० 8,45,000.00 (रू० आठ लाख पैंतालीस हजार मात्र) है। उक्त दर के अनुसार (मसूरी वन प्रभाग के कार्यक्षेत्रान्तर्गत) एन०पी०वी० धनराशि का आगणन रू० 3,24,903.00 (रू० तीन लाख चौबीस हजार नौ सौ तीन मात्र) है। जिसका भुगतान प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।


  
प्रभागीय वनाधिकारी  
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी





परियोजना का नाम- जनपद टिहरी गढ़वाल के जौनपुर ब्लाक में पी0एम0जी0एस0वाई के अन्तर्गत रायपुर-कुमाल्डा मोटर मार्ग के किमी0 35 से घेना तक मोटर मार्ग की कुल लम्बाई 3.325 किमी0 के निर्माण हेतु अपेक्षित 4.165 है0 वन भूमि का पी0एम0जी0एस0वाई सिंचाई खण्ड-2 नई टिहरी को वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु प्रत्यावर्तन प्रस्ताव।


क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की उपयुक्तता का प्रमाण-पत्र


प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त परियोजना के निर्माण हेतु अपेक्षित 2.0825 है0 वन भूमि के बदले दुगने 4.165 है0 भूमि ग्राम घेना सिविल सोयम अन्तर्गत सिविल भूमि का चयन किया गया है। चयनित क्षेत्र क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेत उपयुक्त है।

  
उप प्रभागीय वनाधिकारी  
देहरादून  
मसूरी वन प्रभाग

  
वन क्षेत्राधिकारी  
रायपुर रेंज,  
मसूरी वन प्रभाग

  
(प्रेमसिंह बिष्ट)  
वन दरोगा  
सै0अ0 बॉदल द्वितीय सैक्सन  
रायपुर रेंज।

  
( धर्मराम )  
व0 वी0 अ0  
बॉदल प्रथम बीट  
रायपुर रेंज।

  
प्रभागीय वनाधिकारी  
मसूरी वन प्रभाग  
मसूरी

प्राक्कलन बावत रायपुर कुमाल्डा कदूखाल मोटर मार्ग के कि०मी० 35 से घेना मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4-165 है० वन भूमि के सापेक्ष परियोजना के आस-पास ग्राम घेना में सिविल सोयम में क्षतिपूरक वनीकरण करना।

रायपुर रेंज-मसूरी वन प्रभाग वर्ष 2018-19.

उपरोक्त लोकेशन - 30° 22' 26.272" 78° 11' 23.173" 30° 22' 25.613" 78° 11' 58.65"

क०सं०	कार्य विवरण	इकाई/सं०	इकाई दर	धनराशि
1	सर्वे सीमांकन	प्रति है०	120.00	499.80
2	क्षेत्र की सफाई(झाड़ी कटान आदि)	प्रति है०	1578.00	6572.37
3	पथरों की कुलीवाल बनाना प्रति है० 84घ.मी.	प्रति घ.मी.	281.00	101809.26
4	कंटूर फर कार्य( प्रति है० 300 र.मी.)का खुदान	प्रति र.मी.	10.00	12495.00
5	अग्रिम मृदा कार्य (0.30x0.30x0.45) गड्डा खुदान	प्रति गड्डा	7.40	61642.00
6	निरीक्षण बटिया बनाना	प्रति है०	485.00	2020.02
7	पौधों की कीमत (प्रथम वर्ष)	प्रति पौध	5.93	49396.90
8	अन्य व्यय जैसे यन्त्र सयन्त्र औजार तेज करना	प्रति है०	489.00	2036.68
9	भूमि संरक्षण एवं जल संरक्षण कार्य	34 नग	9150.00	1098100.00
	योग प्रथम चरण			346272.03
	द्वितीय चरण			
1	गड्डा भरान कार्य(0.30x0.30x0.45)	प्रति गड्डा	1.30	10829.00
2	कंटूर फरों में बीज बुआई(प्रति है० 300र.मी.)	प्रति र०मी०	0.80	999.60
3	पौधों की कीमत (द्वितीय वर्ष)	प्रति पौध	1.05	8746.50
4	पौध डुलान वाहन से 98 किमी०	प्र०से०पौ०	16.00	130614.40
5	पौध डुलान सिरबोझ 12 किमी०	प्र०से०पौ०	169.00	168932.40
6	पौध रोपण थावला बन्दी	प्रति पौध	2.74	22824.20
7	निरीई गुड़ाई व मलचिंग(दो बार)	प्रति पौध	3.00	24990.00
8	खाद व दवा पर व्यय	प्र०से०पौ०	21.00	1749.30
9	देख रेख व रख रखव रोपण वर्ष में 9 माह कम से कम 10 प्रति है०	प्रति है०	618.30	23176.97
10	वृक्षारोपण क्षेत्रों के अर्न्तगत सूखे घास फूस एवं ज्वलन पदार्थों को हटाना	प्रति है०	366.00	1528.55
11	सुरक्षा दीवाल / घेरबाड़ के बाहर चार मीटर की पट्टी साफ करना	प्रति है०	277.00	1153.70
12	वृक्षारोपण से लाभवन्तित होने वाले अग्नि सुरक्षा, जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा उल्लेखीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना अ-प्रशिक्षण ब- प्रोत्साहन	ल०स० ल०स०	577.00 289.00	2403.20 1203.68
13	अन्य व्यय साईन बोर्ड पौध डुलान हेतु टोकरी सुतली, बोरी आदि क्रय करना वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचने हेतु पौलीथीन सीट क्रय करना वर्ष में दो-तीन बार फोटो ग्राफी फीलड स्तरीय कार्यो का प्रचार प्रसार एवं डोक्युमेंटस	प्रति है०	1327.00	5526.95
14	कन्दूर खाईयों में घास स्लिप का रोपण डुलान सहित एवं चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से पुनरोत्पादित स्थानीय जैवविधता वृक्ष व झाड़ी प्रजातियों को संरक्षित रखने व रख-रखाव पर व्यय	प्रति है०	883.00	3677.69
	योग द्वितीय चरण	-	-	408356.14
	कुल योग प्रथम व द्वितीय चरण	-	-	754628.17
	तृतीय चरण			
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह(कम से कम 10 है० आधार मानकर)	प्रति है०	8244.00	34336.26

2	वृक्षारोपण क्षेत्र के अर्न्तगत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना	प्रति है०	367.00	1528.55
3	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी० की पट्टी साफ करना	प्रति है०	277.00	1153.70
4	वृक्षारोपण से लाभवन्तित होने वाले अग्नि सुरक्षा, जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा उल्लेखीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	प्रति है०	577.00	2403.20
	अ-प्रशिक्षण	प्रति है०	289.00	1203.85
	ब-प्रोत्साहन	-	-	40625.41
	योग तृतीय चरण			
	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रख रखाव (उपरोक्तानुसार समस्त कार्य)	प्रति है०	9754.00	40625.41
	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष रख रखाव (उपरोक्तानुसार समस्त कार्य)	प्रति है०	9754.00	40625.41
	रोपण वर्ष के उपरान्त चतुर्थ वर्ष रख रखाव (उपरोक्तानुसार समस्त कार्य)	प्रति है०	9754.00	40625.41
	रोपण वर्ष के उपरान्त पंचम वर्ष रख रखाव (उपरोक्तानुसार समस्त कार्य)	प्रति है०	9754.00	40625.41
	रोपण वर्ष के उपरान्त छठा वर्ष रख रखाव (उपरोक्तानुसार समस्त कार्य)	प्रति है०	9754.00	40625.41
	रोपण वर्ष के उपरान्त सप्तम वर्ष रख रखाव (उपरोक्तानुसार समस्त कार्य)	प्रति है०	9754.00	40625.41
	रोपण वर्ष के उपरान्त अष्टम वर्ष रख रखाव (उपरोक्तानुसार समस्त कार्य)	प्रति है०	9754.00	40625.41
	रोपण वर्ष के उपरान्त नवम वर्ष रख रखाव (उपरोक्तानुसार समस्त कार्य)	प्रति है०	9754.00	40625.41
	रोपण वर्ष के उपरान्त दशम वर्ष रख रखाव (उपरोक्तानुसार समस्त कार्य)	प्रति है०	9754.00	40625.41
	कुल योग-			1160882.27
	या-			1160639.72

या - 11,60,639.72

1160640/

प्रभागीय वनाधिकारी

देहरादून

मसूरी वन प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी

मसूरी वन प्रभाग

मसूरी

वन क्षेत्राधिकारी

रायपुर रेंज.

मसूरी वन प्रभाग

1160640/

1160640/

मसूरी वन प्रभाग

परियोजना का नाम :- प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अर्तगत प्रस्तावित, जनपद टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में रायपुर-कुमाल्डा-कददूखाल मोटर मार्ग के कि०मी० 35 से घेना गाव मोटर मार्ग (लम्बाई 3.325 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रस्तावित कार्य हेतु वन भूमि के मार्ग का पूर्ण औचित्य को दर्शाते हुए एक विस्तृत आख्या।  
Presently the villagers (01 number of villagers Ghena with a total population of 375 ) have to walk through a distance of 12-13 km to meet their daily needs, as there is no road connecting the village. Due to the non-existing of any road connectivity, the lives of the villagers are in constant danger as there are no medical services which could be provided to them even in cases of emergency such as maternity. Further, due to non-existent of the road connectivity the area remains backward in all respects. The main occupation of the villagers residing in this village is animal husbandry and agriculture. The villagers are forced to carry their cultivated crops such as Haldi, Adrak, Mirch, Lehsoon, Dhan, Aaloo Etc. on their feet or by mules to the near by market.

If the road connectivity is provided to the villagers it shall enhance the social and economical development of this area and migration of the people from the village shall be minimized. The forest land area falling in the proposed alignment of the road which is about 2.3975 Hectare has been surveyed to the minimum and also the alignment of the road has been proposed in such a manner that there shall be a minimum of tree falling. **Other than the proposed alignment for the road, there is no such alignment which shall reduce the diversion of forest area or falling of trees.** The overall width proposed for acquiring of the land is 7.00 mtr and the construction of the road shall be carried out in a width of 6.00 in straight reaches. The Geological investigation along the proposed alignment has been carried out which also states that the proposed alignment of the road is safe for the construction. There are no graveyards, religious, historical/monumental or legendary places falling in the proposed alignment of the road.

In view of the above facts and public interest, it is requested that the forest land area of **2.0825 Hectare** may kindly be diverted for the construction of the road.

कनिष्ठ अभियन्ता

पी०एम०जी०एस०वाई०,  
खण्ड सिचाई--२ नई टिहरी

सहायक अभियन्ता

पी०एम०जी०एस०वाई०,  
खण्ड सिचाई--२ नई टिहरी

अधिशर्सी अभियन्ता

पी०एम०जी०एस०वाई०,  
खण्ड सिचाई--२ नई टिहरी

प्रभागीय वनाधिकारी  
मसूरी वन प्रभाग  
मसूरी